M.P. Trade Facilitation Corporation Ltd.
25 JUN
Inward No. 1589

मध्यप्रदेश शासन
उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग,
:: मंत्रालय ::

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 22 जून, 2018

क्रमांक एफ-16-01/2018/ए-ग्यारह:: राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स वेलस्पन कार्प लि. द्वारा औद्योगिक क्षेत्र जमुनिया/खेजड़ा जिला रायसेन में प्लांट एवं मशीनरी में लगभग ₹ 123.00 करोड़ के पूंजी निवेश से (इन्टेन्शन-टू-इन्वेस्ट क्रमांक CIE-14248) एन्टी कोरोजन कोटेड लाईन पाईप्स् निर्माण इकाई की स्थापना हेतु निम्नानुसार विशेष सुविधाऐं दी जावे :-

1. **भूमि आवंटन**– औ.क्षे. जमुनिया/खेजडा जिला रायसेन में प्रचलित प्रब्याजी दर के 50% की दर पर 100 एकड भूमि आवंटित की जावे ।

2. **नेट एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति** - राज्य के खजाने में अंतिम रूप से प्राप्त होने वाली नेट एसजीएसटी राशि की 75% की दर से 7 वर्षो हेतु प्रतिपूर्ति जो प्लांट एवं मशीनरी में किये गये निवेश की सीमा से अधिक नही होगी ।

3. **स्टांप ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क से छूट** - भूमि क्रय/लीज के लिखत पर देय स्टांप ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क हेतु चुकाई गई राशि की प्रतिपूर्ति उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा की जावे।

4. **विद्युत आपूर्ति** - औ.क्षे. जमुनिया/खेजड़ा जिला रायसेन में मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा 33 के.व्ही. क्षमता का पॉवर सब-स्टेशन निर्मित करायी जावे। इस हेतु एकेव्हीएन भोपाल द्वारा वितरण कम्पनी को रू. 1/- के टोकन मूल्य पर आवश्यक भूमि उपलब्ध करायी जायेगी ।

5. **विद्युत टेरिफ में रियायत** - वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से 5 वर्षो हेतु 5/- प्रति यूनिट की स्थिर दर से विद्युत उपलब्ध करायी जावे, परन्तु यह रियायत 31 मार्च, 2027 के पश्चात देय नही होगी । संबंधित विद्युत वितरण कम्पनी देयक की शेष राशि (यदि कोई हो तो) मध्यप्रदेश ट्रायफेक से अनुदान के रूप में प्राप्त कर सकेगी ।

6. **उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित अक्टूबर 2017) अन्तर्गत** - नीति अन्तर्गत इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की दिनांक से 01 वर्ष पश्चात तक प्लांट एवं मशीनरी में किए गए निवेश को नेट एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति की गणना हेतु मान्य की जावे।

7. **जल आपूर्ति** - एमपी एकेव्हीएन, भोपाल द्वारा प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के लिए जल प्रदाय योजना निर्मित करने पर इकाई को जल की आपूर्ति तत्समय प्रचलित दर से की जावे अथवा जल संसाधन विभाग द्वारा एकेव्हीएन भोपाल को हलाली जलाशय से आवंटित जल में से जल संसाधन विभाग की प्रचलित दरों पर आवश्यकतानुसार जल आवंटित किया जावे।

8. **पंहुच मार्ग निर्माण** - एमपी एकेव्हीएन, भोपाल द्वारा प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र में पंहुच मार्ग का निर्माण कराया जावे ।

9. कम्पनी की परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का लाभ इस शर्त पर प्राप्त है ... परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने के दिनांक से 3 वर्ष में परियोजनाओं में वाणिज्यि... प्रारंभ कर लिया जावेगा।

10. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मोहम्मद सुलेमान)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

पृ.क्रमांक एफ-16-01/2018/A-11 भोपाल, दिनांक 22 जून, 2018

प्रतिलिपि :-

1/ प्रमुख सचिव(समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।

2/ अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/जल संसाधन विभाग/ऊर्जा विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल।

3/ प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल।

4/ आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल।

5/ कलेक्टर, जिला रायसेन।

6/ प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम(भोपाल) लिमि., भोपाल।

7/ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, मेसर्स वेलस्पन कार्प लि., वेलस्पन हाऊस, 5वां तल, कमला सिटी, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल (पश्चिम) मुम्बई - 400 013

- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग